



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]
No. 358]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 1999/आषाढ़ 22, 1921
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 1999/ASADHA 22, 1921

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1999

सा. का. नि. 516(अ).— पासपोर्ट अधिनियम 1967 §1967 का 15§ की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित निधम बनाती है, अर्थात् :

1. §1§ इन नियमों को पासपोर्ट §संशोधन§ नियम 1999 कहा जाएगा।
§2§ ये सरकारी राजपत्र के इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 के नियम §5§ में :

§क§ उप-नियम §2§ के परंतुक को समाप्त किया जाएगा।

§ख§ अनुसूची-111-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची-III-क

§नियम 5 देखें§

क्र.सं. पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र का विवरण	मूल्य	
	भारत में	विदेशों में
1. फार्म सं० 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए §काली स्याही में मुद्रित तथा भारत में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध है।	निःशुल्क	लागू नहीं
2. फार्म सं० 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए §नीली स्याही में मुद्रित तथा भारत में डाकघरों में उपलब्ध है।	मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है	लागू नहीं
3. फार्म सं० 1 नया पासपोर्ट जारी करने के लिए §निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप नियम §1.1 के प्रथम परंतुक की धारा §ख§ के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध है।	वही	लागू नहीं
4. फार्म सं० 2 पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए भूरे/चाकलेटी स्याही में मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध है।	निःशुल्क	लागू नहीं
5. फार्म सं० 2 पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए §निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप-नियम §1.1 के प्रथम प्रावधान की धारा §ख§ के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध।	मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है।	लागू नहीं
6. फार्म सं० 3 गुमशुदा/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए §लाल रंग में मुद्रित तथा भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध	निःशुल्क	लागू नहीं

- | | | | |
|----|--|---|-----------|
| 7. | फार्म सं० 3 गुमशुदा/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए निर्धारित रंग में मुद्रित तथा नियम 5 के उप-नियम 1 के प्रथम परंतुक की धारा ख के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों के माध्यम से उपलब्ध। | मुद्रण तथा वितरण की लागत के आधार पर इसका मूल्य समय-समय पर निर्धारित किया जाना है। | लागू नहीं |
| 8. | फार्म सं० ई ए पी-1 रक्सटेशन नया पासपोर्ट जारी करने के लिए तथा ई ए पी-2 रक्सटेशन पासपोर्ट से संबंधित विविध सेवाओं के लिए। | लागू नहीं | निःशुल्क |
| 9. | फार्म सं० ई ए पी-5 पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए। | निःशुल्क | लागू नहीं |

[फा. सं. VI/401/39/99]

एस. आर. तयाल, संयुक्त सचिव (सी पी पी)

टिप्पणी :- दिनांक 11 दिसम्बर 1980 बाह्य अधिसूचना सं० सा.का.नि. 697 के भाग-11 खण्ड-111 उपखंड 1 द्वारा प्रकाशित मूल नियम बाद में निम्नलिखित अनुसार संशोधित किये गये :

1. अधिसूचना सं० सा का नि 50 के दिनांक 7 फरवरी, 1981
2. अधिसूचना सं० सा का नि 469 के दिनांक 24 जून, 1982
3. अधिसूचना सं० सा का नि 325 के दिनांक 12 अप्रैल, 1983
4. अधिसूचना सं० सा का नि 494 के दिनांक 16 जून, 1983
5. अधिसूचना सं० सा का नि 345 के दिनांक 29 मार्च, 1985
6. अधिसूचना सं० सा का नि 860 के दिनांक 1 नवम्बर, 1985
7. अधिसूचना सं० सा का नि 1155 के दिनांक 21 नवम्बर, 1988
8. अधिसूचना सं० सा का नि 100 के दिनांक 4 मार्च, 1991
9. अधिसूचना सं० सा का नि 503 के दिनांक 10 जुलाई, 1993
10. अधिसूचना सं० सा का नि 622 के दिनांक 27 जून, 1990
11. अधिसूचना सं० सा का नि 605 के दिनांक 5 अक्टूबर, 1998

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1999

G.S.R. 516(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1999.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passport Rules, 1980, in rule (5) :
(a) the proviso to sub-rule (2) shall be omitted.
(b) for the SCHEDULE III-A, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**“SCHEDULE III-A
(See rule 5)**

Sl. No.	Description of passport application forms	Price	
		In India	Abroad
1	Form No. 1 for issue of fresh passport (printed in black ink and available at all Passport Offices in India).	Free	Not applicable
2	Form No. 1 for issue of fresh passport (printed in blue ink and available at Post Offices in India)	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
3	Form no. 1 for Issue of fresh passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	-do-	Not applicable
4	Form No.2 for miscellaneous services on passport (printed in brown/chocolate ink and available at all Passport Offices in India.)	Free	Not applicable
5	Form No.2 for miscellaneous services on passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
6	Form No. 3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in red ink and available at all Passport Offices in India)	Free	Not applicable
7	Form No. 3 for passport to be issued in lieu of lost/damaged passport (printed in specified colour and available through persons specified under clause (b) of the first proviso to sub-rule (I) of rule 5.	Price to be specified by Government from time to time based on the cost of production and distribution	Not applicable
8	Forms No. EAP-1 Ext. for issue of fresh passport and EAP-2 Ext. for miscellaneous services on passport.	Not applicable	Free
9	Form No. EAP-5 for issue of Certificate of Identity.	Free	Not applicable”

[F No VI/401/39/99]
S. R. TAYAL, Jt. Secy (CPV)

Note :—Principal rules published vide Notification No. GSR 697(E) dated December, 11, 1980 (1980 external) Part II, Section 3, sub-section (i), subsequently amended by:-

1. Notification No. GSR 50(E) dated February 7, 1981.
2. Notification No. GSR 469(E) dated June 24, 1982.
3. Notification No. GSR 325(E) dated April 12, 1983.
4. Notification No. GSR 494(E) dated June 16, 1983.
5. Notification No. GSR 345(E) dated March 29, 1985.
6. Notification No. GSR 860(E) dated November 1, 1985.
7. Notification No. GSR 1155(E) dated November 21, 1988.
8. Notification No. GSR 100 (E) dated March 04, 1991.
9. Notification No. GSR 503 (E) dated July 10, 1993.
10. Notification No. GSR 622(E) dated June 27, 1990.
11. Notification No. GSR 605 (E) dated October 05, 1998.

